Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डि./टीए/64/2004/चितौडगढ

1. नवल सिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी अम्बावली तहसील बडी सादडी जिला चितौडगढ

–अपीलार्थी

बनाम

1. हजारी पिता पेमा डांगी निवासी अम्बावली तहसील बडी सादडी जिला चितौडगढ
2. वजीर मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद निवासी बडीसादडी तहसील बडी सादडी जिला चितौडगढ

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता, अपीलार्थी
प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 14.03.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा संख्या 164/1990 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा अम्बावली स्थित आराजी खसरा नम्बर 55, 60, 71/3क, 71/4क, 71/3ख कुल रकबा 12बीघा 04बिस्वा भूमि उसकी खातेदारी की है। प्रतिवादीगण सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न करते है तथा जबरन वादी की आराजी खसरा नम्बर 5 व 71/3क की ओर अपनी सीमा बढाते चले आ रहे है। वादी ने सीमा निर्धारण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी के आदेश से पत्थर गढी करवाई गयी जिससे स्पष्ट हो गया कि वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 5 की पूर्वी सीमा पर आधा बीघा पर प्रतिवादी संख्या–1 का नाजायज कब्जा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 का 0.12बिस्वा पर नाजायज कब्जा है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 71/3क के उत्तरी पूवी कोने पर लगभग 02बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या–2 का कब्जा है। अतः प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदलख कर कब्जा वादी का दिलवाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी संख्या–1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा तथा प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित पांच विवाद्यक विरचित किये। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–2000 से वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत बेदखली के वाद को डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री

दिनांक 13-11-2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय में वकील प्रतिवादी संख्या-1 अपीलार्थी ने प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से हिदायत पैरवी नही होना जाहिर किया। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना कथन किया जाने पर न्यायालय द्वारा उनके पक्षकार को नोटिस जारी होना आवश्यक था किन्तु विचारण न्यायालय ने अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होने के आधार पर उनके पक्षकार के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत बेदखली के वाद को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रावधित आज्ञापक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी अपने पूर्वजों के समय से विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली का वाद पत्र प्रस्तुत करने की मियाद 12 वर्ष होने से वादी प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत बेदखली का वाद मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य था। उनका कथन है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या-1 ने अपने वाद में यह प्रमाणित नहीं किया कि किस तारीख को विवादित

आराजी पर प्रतिवादी प्रत्यर्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

5. हमने योग्य अधिवक्ता अपवीलार्थी द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा अम्बावली स्थित आराजी खसरा नम्बर 55, 60, 71/3क, 71/4क, 71/3ख कुल रकबा 12बीघा 04बिस्वा भूमि उसकी खातेदारी की है। प्रतिवादीगण सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न करते है तथा जबरन वादी की आराजी खसरा नम्बर 5 व 71/3क की ओर अपनी सीमा बढाते चले आ रहे है। वादी ने सीमा निर्धारण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी के आदेश से पत्थर गढी करवाई गयी जिससे स्पष्ट हो गया कि वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 5 की पूर्वी सीमा पर आधा बीघा पर प्रतिवादी संख्या–1 का नाजायज कब्जा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 का 12बिस्वा पर नाजायज कब्जा है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 71/3क के उत्तरी पूवी कोने पर लगभग 02बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या–2 का कब्जा है। अतः प्रतिवादीगण

को विवादित आराजी से बेदलख कर कब्जा वादी का दिलवाया जावे। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 प्रदर्श–पी–1 के अनुसार विवादित आराजी वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की खातेदारी की भूमि है। नकल पर्चा मौका दिनांक 29–06–1999 प्रदर्श–पी–3 से स्पष्ट होता है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 55 में 10 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या–1 वजीर मोहम्मद का कब्जा प्रमाणित है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 55 में रकबा 12बिस्वा तथा आराजी खसरा नम्बर 71/3क में 03बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या–2 नवलसिंह पुत्र भैरूसिंह का प्रमाणित प्रमाणित है, जो नक्शा टेस प्रदर्श–पी–2 में लालस्याही से दर्शाया गया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद को डिक्री किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक प्रतिवादी अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष हिदायत पैरवी नहीं होना कथन करने के आधार पर एकतरफा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया गया है।

7. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत

सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-11-2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, बडी सादडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-10-2000 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य